



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032023-244473
CG-DL-E-18032023-244473

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1219]
No. 1219]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2023/फाल्गुन 26, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2023/PHALGUNA 26, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2023

का.आ. 1268(अ).—पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के नियम 16 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, लोकहित में पेट्रोलियम का आयात करने की आवश्यकता के मद्देनजर, एतद्वारा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के कराईकल पत्तन को दिनांक 13.03.2023 से 12.03.2026 तक तीन (03) वर्षों की अवधि के लिए समुद्र द्वारा भारत में पेट्रोलियम का आयात करने के लिए अधिसूचित करती है।

[फा. सं. -25018(1)/2017-एमपी]

भूषण कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th March, 2023

S.O. 1268(E).—In exercise of the powers conferred under Rule 16(1) of the Petroleum Rules, 2002, the Central Government, in consideration of the necessity to import petroleum & gas in public interest, hereby notifies Karaikal Port in the Union Territory of Puducherry for importing petroleum into India by Sea for a period of three years from 13.03.2023 to 12.03.2026.

[F. No. 25018(1)/2017-MP]

BHUSHAN KUMAR, Jt. Secy. (SM)